गौ-अभ्यारण के रूप में विकसित होगा गौ-सदन

पन्ना। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं लोकसेवा प्रबंधन विभाग के राज्यमंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने रविवार को अपने पन्ई प्रवास के दौरान श्री विद्यासागर गौ-शाला के नवनिर्मित गौ-सदन के भवन का लोकार्पण तथा पशु आहार भण्डारण गोदाम का भूमिपूजन वैदिक रीति से किया।

इस कार्यक्रम में राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश गौ-पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष पदम बरैया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ-माता के दर्शन मात्र से हजारों पुण्य प्राप्त होते हैं। गौ-वंश की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गायों से हमें स्वच्छ रखने वाला अमृत दूध मिलने के साथ-साथ गौ-वंश के मूत्र एवं गोबर से अनेक तरह की औषधियां बनती हैं तथा जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। इस गौ-सदन में भी आगामी आने वाले समय में अनेक तरह के उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा। इस गौ-सदन को गौ-अभ्यारण के रूप में विकसित करने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। राज्यमंत्री श्री सिंह ने पन्ना जिले की केन कठियां प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन किए जाने के संबध में आवश्यक प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पदम बरैया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस गौ-सदन को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराकर इसे विकसित करने तथा गौ-वंश से प्राप्त होने वाले बहुउपयोगी उत्पादनों के लिए केन्द्र की स्थापना करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य शासन से हरसंभव सहायता दिलाई जाएगी। इस अवसर पर अजयगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने अपने उद्बोधन में आश्वासन दिया कि समाज से सामर्थ अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। दयोदय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एसके जैन ने अपने उद्बोधन में गौ-संवर्धन संरक्षण से संबंधित परियोजना पर प्रकाश डालने के साथ-साथ संघ की ओर से एक लाख 50 हजार रूपये देने की घोषणा भी की गई। छतरपुर जिले से आए एसएडीओ जेपी शर्मा द्वारा गौ-संवर्धन समिति के सदस्यों को जैविक खाद के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। -नसने

अभी फसल चट करतीं रहेंगी नीलगाय

नीलगाय को मारने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में, राज्य सरकार से नही मिली अनुमति

■ प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल। प्रदेश में नीलगाय को मारने के लिए सशर्त अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया है। लंबे समय से यह मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है कि जंगलों में नीलगाय की अधिकता और उनके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण मारने की अनुमति दी जाए, लेकिन यह प्रस्ताव लगभग एक वर्ष बाद भी अमल में नहीं आ सका है।

प्रदेश के कई जिलों में नीलगाय से फसलों को हुए नुकसान का मामला प्रमुखता से विधानसभा में उठता रहा है। विशेष रूप से जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होता है तो यह मामला विधानसभा में अवश्य उठता है। कई विधायक इस संबंध में मांग करते हैं कि नीलगाय की संख्या को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि किसानों को फसलों का अधिक नुकसान नहीं झेलना पड़े। वन विभाग के नियमों के मुताबिक वन सीमा से लगी एक निश्चित दूरी तक खेतों में फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा तो दिया जा सकता है, लेकिन नीलगाय तय सीमा को पार कर गांव के काफी करीब आकर खेतों में फसलों

को चट कर जाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान सहना पड़ता है।

हालांकि अब राज्य सरकार ने नया प्रावधान किया है, जिसके तहत यदि यह प्रमाणित हो जाए कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए उसे मुआवजा मिलेगा। इसके लिए पंचनामा बनाकर क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यह प्रावधान भी राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तविक रूप से जितना नुकसान होता है, उतना सरकारी मुआवजा मिलता नहीं। नये प्रावधानों के तहत अब वन विभाग किसानों को मुआवजे के लिए राशि एक मुश्त राजस्व विभाग को देने लगा है। राहत राशि वितरण का काम राजस्व विभाग के ही जिम्मे है। हांलाकि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए भू राजस्व संहिता में भले ही संशोधन कर रही हो लेकिन नीलगायों को मारने की इजाजत देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे धार्मिक कारण सामने आ रहे हैं। नीलगाय के नाम के साथ गाय शब्द जुड़ा है, जो उसके लिये बड़ा मददगार बना हुआ है।

राज पब्लिकेशन (यूनिट राज इवेंट्स एंड इंटरटेनमेंट प्रा. लि.)
2005/14289, फोन नं. 0755-4044101-03, फैक्स

राज एक्सप्रेस 07 ग्वालियर
बुधवार, 24 अक्टूबर, 2012
www.raj

'बकरीद में गाय की कुर्बानी से बचें मुस्लिम'

लखनऊ (एजेंसी)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने मुसलमानों से शनिवार को होने वाली बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी देने से बचने की अपील की है। हिन्दुस्तान में रहने वाले हर मुस्लिम का फर्ज है कि वह हिन्दू भाइयों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे।

मौलाना सादिक ने कहा कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, जहां हिन्दू भाइयों का बहुमत है। हमें उनकी धार्मिक भावनाओं का पूरा आदर करना चाहिए। मेरी मुसलमानों से अपील है कि वे बकरीद पर गाय की कुर्बानी से एकदम बचें। उन्होंने कहा कि शिया मुसलमानों के लिए मुल्क की आजादी के बाद ही फतवा जारी किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को वर्जित करार दिया गया था। इसके बाद से ही शिया बकरीद में गाय की कुर्बानी नहीं देते। मौलाना ने कहा कि जब देश में कुर्बानी के लिए गाय के अलावा दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, तो मुसलमानों को हिंदू धर्म में पूज्य इस जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए।

एमसीआई-पेटा आमने-सामने

▸▸ नागपुर के फैसले पर दिल्ली में तकरार ▸▸ पशु प्रयोग रोकने के लिए 'पेटा' का एमसीआई को पत्र ▸▸ अमेरिका और कनाडा का दिया हवाला

आशीष दुबे नागपुर। एक तरफ लाखों मरीजों का सवाल हैं, तो दूसरी तरफ हजारों पशुओं की जान हैं। इन दोनों के छोरों के बीच दी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल 'पेटा' और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खड़ी है। पशु प्रयोग जारी रहें या बंद किया जाए इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच रस्साकशी शुरू है।'पेटा' से जुड़े कार्यकर्ता चाहते हैं कि देश भर के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को बिना किसी पशुओं की चीर-फाड़ के पढ़ाया जाए। साथ ही इस वर्ष के प्रारंभ में नागपुर में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को बदला जाए। मेडिकल कालजों में पशु प्रयोग जारी रखने के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले से असंतुष्ट 'पेटा' ने इसका तीखा विरोध करना शुरू कर दिया है। इस फैसले को बदलने के लिए संगठन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही देश की मेडिकल शिक्षा का ढांचा पशु प्रयोग को छोड़कर बुना जाए। संगठन का मानना है कि विश्व परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और हमारी मेडिकल शिक्षा अब भी पिछड़ रही है। संगठन के वरिष्ठ प्रवक्ता धर्मेश सोलंकी ने एमसीआई अध्यक्ष डा.पी.सी.केसवनकुट्टी नायर को पत्र लिखकर पशु प्रयोग को तत्काल बंद करने तथा मेडिकल पाठ्यक्रम में बदलाव करने की बात कही है। साथ ही जानकारी दी कि अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन देशों के मेडिकल स्कूलों में पशु प्रयोग बंद हो चुका है। एमसीआई को भी चाहिए कि वह ग्रेज्यूएट मेडिकल एज्यूकेशन रेग्यूलेशलन 1997 में

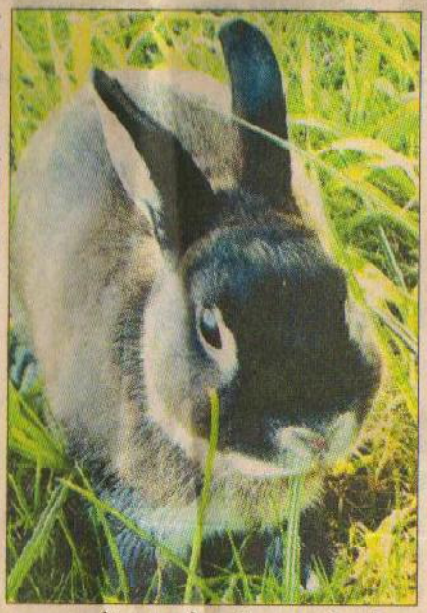

बदलाव करें। पशु प्रयोग की बजाए नॉन एनिमल टीचिंग मैथड को अपनाए। उन्होंने एमसीआई की ओर से पशु प्रयोग जारी रखने के संबंध में दिए गए तर्क पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रयोग जरूरी है तो पशुओं की बजाए दूसरे विकल्प को खोजा जाए। मेडिकल कालेजों में पशु प्रयोग रोकने के लिए जनजागृति मुहिम छेड़ने की बात भी कही है। उन्होंने देश के प्रमुख मेडिकल प्रोफेसरों और संशोधकों का हवाला देते हुए कहा है कि वे भी प्रयोग को बंद करने का समर्थन करते हैं। 'पेटा' के पत्र के संबंध में एमसीआई के कार्यकारी समिति के सदस्य डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने कहा है कि एम.डी फिजियोलॉजी और फार्माकॉलॉजी पाठ्यक्रम के साथ ही स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम को देखते हुए पशु प्रयोग बंद करना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 'पेटा' की ओर से दिया पत्र समिति के सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि गत 2 फरवरी को नागपुर में पहली बार एमसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से पशु प्रयोग जारी रखने का फैसला किया गया। इस संबंध में डा. मिश्रा समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को भी मान्य किया गया था। पशु प्रयोग को लेकर विवाद पिछले वर्ष शुरू हुआ था। सबसे पहले 'पेटा' की ओर से त्रिपुरा मेडिकल कालेज के अधिष्ठाता को भेजा गया था। जिसमें प्रयोग बंद करने को कहा गया था। पत्र एमसीआई के सुपुर्द किया गया था। इस पर विचार के लिए डा. मिश्रा कमेटी का गठन किया गया था। इसी तरह का एक पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी भेजा गया था। यूजीसी ने पत्र पर विचार करते हुए एक परिपत्रक जारी करते हुए पशु प्रयोग तत्काल बंद करने का आदेश दिया था। अपनी रिपोर्ट में डा. मिश्रा समिति ने साफ कहा था कि एमसीआई, यूजीसी से स्वतंत्र संस्था है। अतः आयोग का कोई भी निर्णय एमसीआई पर लागू नहीं होता है। साथ ही आदेश मानने के लिए एमसीआई बाध्य नहीं है। मेडिकल पाठ्यक्रम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशु प्रयोग जारी रखा जाए। इस फैसले को सम्मति से मान्य किया गया था।

पूर्वोत्तर के अखबारों से

बलि का विरोध

रविशंकर रवि

असम में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली बलि का विरोध बढ़ता जा रहा है। असम में इस मौके पर मां कामाख्या समेत राज्य के कई मंदिरों में भैंसे, पाठा, भेड़ और कबूतर की बलि देने का रिवाज है। इस मौके पर हजारों बलि दी जाती है। प्रसिद्ध असमिया लेखिका डॉ. इंदिरा गोस्वामी ने भी इसके खिलाफ अभियान चलाते हुए 'छिन्नमस्ता' नाम से एक उपान्यास भी लिखा था। इस बार भी कई संगठनों ने इस प्रथा के खिलाफ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रकट किया है। 'दैनिक पूर्वोदय', 'द सेंटीनल' समेत कई अखबारों ने ऐसी खबरों को प्रमुखता से छापा है। अखबार लिखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पूजा के नाम पर बलि विधान के घोर विरोधी हैं।

श्री गोगोई बुधवार को महानवमी के दिन गणेशगुड़ी स्थित पूजा पंडाल पर देवी दर्शन के लिए आए थे। वहीं पर गोगोई ने यह खुलासा किया कि उन्हें देवी को खुश करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा अच्छी नहीं लगती है। किसी एक मां की संतान की बलि से कोई दूसरी मां कैसे खुश हो सकती है। आस्था के नाम पर चल रहा यह विधान बड़ा क्रूर है।

आर.एन.आय. रजि. क्र. MPHIN/2005/13914
मेसर्स नईदुनिया मीडिया प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक विनय छजलानी द्वारा नईदुनिया मीडिया प्रा.लि. के प्रेस से मुद्रित एवं केदारपुर-शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर से प्रकाशित
फोन नं. : 0751-4711000
फैक्स : 0751-4010537
इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com
संपादकीय बोर्ड अध्यक्ष : अभय छजलानी
प्रधान संपादक : आलोक मेहता
समूह संपादक : उमेश त्रिवेदी
स्थानीय संपादक : डॉ राकेश पाठक*
* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।
संपर्क के लिए :- 25/1 रामेश्वर कॉलोनी, एजी ऑफिस के पास, झांसी रोड, ग्वालियर-

कैमिकल से केलों को पकाने वाले पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई

दुकान छोड़ भागा विक्रेता

■ राज न्यूज नेटवर्क

दमोह। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नगर के थोक फल विक्रेताओं द्वारा कैमिकल का उपयोग कर फलों को पकाया जा रहा है। जिसके चलते सिटी कोतवाली पुलिस इन विक्रेताओं पर नजर जमाए हुए थे। सूचना मिलते ही मंगलवार की शाम कोतवाली पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक फल विक्रेता की दुकान से केले को कैमिकल में डुबोकर पकाते समय जब्त किया।

केलों को पकाने के लिए कैमीकल में डूबे केले।

स्थानीय कचौरा शापिंग सेंटर में केले के थोक विक्रेता हैं और इनके द्वारा कच्चे केलों को जल्द पकाने के लिए कैमिकलों का सहारा लिया जाता है जो गैर कानूनी है।

बीते दिवस पुलिस को सूचना मिली कि केलों को केमीकल से पकाया जा रहा है तो पुलिस के बाज के जवानों ने तुरंत ही छापामार कार्रवाई की और कचौरा स्थित रमेशचंद गुरनामल की दुकान से कैमिकल से भरे लोहे के बड़े टब एवं केलों को जब्त किया। पुलिस को देखकर दुकानदार भाग गया खड़ा हुआ। पुलिस ने इस दौरान केलों को जब्त किया। पुलिस ने घटनास्थल से कई कैमिकल की बोतलों, पानी सहित कैमिकल में डूबे केले, चींटी मारने का पाउडर आदि जब्त किया।

हाथ ठेला वाला भी भागा

पुलिस ने जब सामान जब्त कर एक हाथठेला पर रखवा दिया। तब हाथठेला वाला भी अपना हाथ ठेला छोड़कर भाग गया। कचौरा के सभी केला व्यापारी लामबंद हो गए थे और उन्हीं के कहने पर हाथठेला वालों ने यह सामान ढोने का प्रयास भी नहीं किया। जब एएसआई श्री अहिरवार वहां पहुंचे तो उन्होंने यह जब्त सामान कोतवाली थाना ले जाने की बात कही। पुलिस ने कार्रवाई हेतु खाद्य विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी।

छापामार कार्रवाई के दौरान कैमिकल में डूबे केलों को जब्त करते सिटी कोतवाली के पुलिसकर्मी।

गाय बैलों की हड्डियों से बनी प्लेटों- कपों को त्यागो

- मेनका गांधी, संसद सदस्य

श्रीलंका के राष्ट्रपति डी.बी. विजय तुंगे ने मेरे श्रीलंका के दौरे में मुझे चाय पर बुलाया और मुझे एक नोरिटेक टी सेट उपहार के तौर पर दिया, उस पर अन्दर की ओर बोन चाइना लिखा हुआ था। मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं भी अन्य लोगों की तरह समझती थी कि इस तरह की खास क्राकरी जो सफेद, पतली और अच्छी कलाकारी से बनाई जाती है, बोन चाइना कहलाती है। बहुत बाद में मुझे पता चला कि इस पर लिखे शब्द बोन का सम्बन्ध वास्तव में बोन (हड्डी) से ही है। इसका मतलब यह कि मैं किसी गाय या बैल की हड्डियों की सहायता से खा-पी रही हूँ। बोन चाइना एक खास तरीके का पार्सिलेन है, जिसे ब्रिटेन में विकसित किया गया है और इस उत्पादन को बनाने में बैल की हड्डियों का प्रयोग मुख्य तौर पर किया जाता है। इसके प्रयोग से इसमें सफेदी और पारदर्शिता आती है।

बोन चाइना इसलिये महंगा होता है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए सैकड़ों टन हड्डियों की जरूरत होती है, जिन्हें कसाईखानों से जुटाया जाता है। इसके बाद इन्हें उबाला जाता है, साफ किया जाता है और खुले में जलाकर इसकी राख प्राप्त की जाती है। बिना इस राख के चाइना कभी भी बोन चाइना नहीं कहलाता है। जानवरों की हड्डी पर चिपका हुआ मांस और चिपचिपापन अलग कर दिया जाता है। इस चरण में प्राप्त चिपचिपे गोंद को अन्य इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। शेष बची हुई हड्डी को १००० सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित सारा कार्बनिक पदार्थ जल जाता है। इसके बाद इसमें पानी और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर कप, प्लेट व अन्य क्राकरी बना ली जाती है और उसे गर्म किया जाता है। इस तरह बोन चाइना अस्तित्व में आता है। इसमें ५० प्रति. हड्डियों की राख, २५ प्रति. चीनी मिट्टी और बाकी चाइना स्टोन होता है। खास बात यह है कि बोन चाइना जितना महंगा होगा, उसमें हड्डियों की राख की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शाकाहारी लोगों को बोन चाइना का इस्तेमाल करना चाहिए ? या फिर केवल शाकाहारी ही क्यों ? क्या किसी अन्य को भी बोन चाइना का इस्तेमाल करना चाहिए ? लोग इस मामले में कुछ तर्क देते हैं। जानवरों को उनकी हड्डियों के लिए नहीं मारा जाता, हड्डियां तो उनको मारने के बाद प्राप्त हुआ एक उप-उत्पाद है। लेकिन भारत के मामले में यह कुछ अलग है। भारत में भैंस और गाय को उनके मांस के लिये नहीं मारा जाता, क्योंकि उनका मांस खाने वालों की संख्या काफी कम है। उन्हें दरअसल उनकी चमड़ी और हड्डियों के लिये ही मारा जाता है। भारत में दुनियां की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है, और यहाँ ज्यादातर गाय के चमड़े का ही इस्तेमाल किया जाता है। हम जानवरों को उनकी हड्डियों के लिये भी मारते हैं। देखा जाए तो वर्क बनाने का पूरा उद्योग ही गाय को केवल उसकी आंत के लिए मौत के घाट उतार देता है। आप जानवरों को नहीं मारते, लेकिन आप या आपका परिवार बोन चाइना खरीदने के साथ ही उन हत्याओं का साझीदार हो जाता है, क्योंकि बिना मांग के उत्पादन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। चाइना सेट की परम्परा बहुत पुरानी है। जानवर लम्बे समय से मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। यह सच है कि आप इस बुरे काम को रोक सकते हैं। इसके लिये केवल आपको यह काम करना होगा कि आप बोन चाइना की मांग करना बंद कर दें। आपको उन सभी चीजों में अपना योगदान कम करना होगा जिनके लिए जानवरों पर अत्याचार किये जाते हैं। हालांकि बहुत से शाकाहारी उन दवाइयों का इस्तेमाल करते है, जो जानवरों के अंगों से बनाई जाती हैं। जैसे इन्सुलिन जिसमें सूअर और गाय के टिशू मौजूद रहते हैं। लेकिन बोन चाइना का इस्तेमाल तो बिल्कुल अनावश्यक है। क्या आप जानवरों की हड्डियों पर भोजन करना पसंद करेंगे ? आपकी थाली ६० प्रतिशत हड्डियों से बनी हुई है। मेरे लिये यह चमड़े, रेशम और हाथीदांत के उपयोग से भी ज्यादा बुरी चीज है।

बोन चाइना निश्चित रूप से एक सजावटी चीज है। उन चीजों में कभी योगदान मत दीजिए, जहाँ गैर जरूरी कारणों की वजह से जानवरों की हत्या की जाती है।

मुक्तक

धर्म यदि भेद की दीवार खड़ी करे।
और धूर्तता की मीनार खड़ी करे।
उसे अधर्म कहना ही लगता है जायज।
जो भाई-भाई में तकरार खड़ी करे।
कुछ-कुछ पाने को हर कोई बेताब है।
युग की मृग-तृष्णा बढ़ी आज बेहिसाब है।
चेहरों पर लुभावने मुख-वटे हैं त्याग के।
पर मन में उफनती लालसाएं लाजवाब हैं।
कोरी बातों से कोई सवाल हल नहीं होता।
सूखी डालियों पर कहीं कोई फल नहीं होता।
हर करिश्मा छिपा है कर्मठता के संदर्भ में।

सं. -महावीर प्रसाद अजमेरा, जोधपुर

बकरे की कुर्बानी के बजाए बकरी करें दान

एजेंसी, इस्लामाबाद। ईद-उल-अजहा के मौके पर कुछ उदारवादी पाकिस्तानी एक बार फिर लोगों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं कि देश में त्योहार के नाम पर लाखों पशुओं की कुर्बानी न दें। दुनियाभर में बकरीद इस बार सात नवंबर को मनाई जाएगी।

बीना अहमद और फराह खान ने पश्चिमी देशों में बसे एशियाई मुसलमानों की वेबसाइट गॉटमिल्कब्लॉग पर लिखा, 'मुसलमानों का धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में कर्तव्य है कि वैज्ञानिक और नैतिक प्रगति को हासिल करें। ईद- उल- अजहा का महत्व हमेशा बना रहेगा, लेकिन आज के समय में हमें चीजों को व्यवहारिक ढंग से देखना चाहिए।'

उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को पशुओं की कुर्बानी के समय उनके साथ की जाने वाली क्रूरता पर भी विचार करना चाहिए। इन्हें भी अल्लाह ने ही बनाया है। जानवरों को खाने के लिए पालने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। गोश्त

■ शेष पृष्ठ 5 पर

- उदारवादी पाकिस्तानी एक बार फिर लोगों को मनाने में जुटे
- कहा, त्योहार के नाम पर लाखों पशुओं की कुर्बानी न दें

दैनिक जागरण, भोपाल
31-10-2011

प्रथम पृष्ठ के शेष

बकरे की कुर्बानी...

का सेवन इंसान के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होता। यही नहीं इस्लाम में गोश्त के सेवन की आवश्यकता पर कुछ नहीं कहा गया है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा, 'मुसलमानों, विशेषकर पश्चिमी देशों में रहने वाले मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वह बकरीद के मौके पर जानवरों के बलिदान की प्रथा को खत्म करने में योगदान दें।' कराची में पशुओं के कल्याणार्थ कार्य करने वाली संस्था ने लोगों से अपील की है कि इस साल बकरे की बलि देने के बजाए एक बकरी खरीदें और उन लोगों को दान में दें, जो गरीब हैं। बकरी के दूध और उससे बने घी और उनके बच्चों को बेचकर होने वाली आमदनी से परिवार का पालन-पोषण आसानी से हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक अन्य पशु कल्याणार्थ संस्था ने लिखा,'जब कुर्बानी की बात आती है, तो वे कट्टर मुसलमान बन जाते हैं, पर जब अपने फायदे की बात आती है तो सब कुछ दरकिनार कर देते हैं।'

और कठिन हो जाएगा लेक्चरर बनना

लेक्चररशिप पात्रता के नियम कड़े करेगा यूजीसी, पीजी और एम फिल धारकों के लिए जरूरी होगा 'नेट' या 'स्लेट' पास करना

दैनिक [illegible] उदयपुर 28 मई 09

डीएनए नेटवर्क. नई दिल्ली

व्याख्याता (लेक्चरर) बनना अब और मुश्किल हो जाएगा। संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण फैकल्टी उपलब्ध कराने और पीएचडी के समान नियम लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने मानदंडों को और कड़ा करने का फैसला किया है। नए मानदंडों के मुताबिक लेक्चररशिप की न्यूनतम योग्यता के तहत स्नातकोत्तर (पीजी) और एम फिल डिग्री धारकों को अब राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) या राज्य स्तर की योग्यता परीक्षा (स्लेट) पास करना अनिवार्य किया जाएगा।

पीएचडी डिग्री धारकों को इन परीक्षाओं को पास करने से मिली छूट बरकरार रहेगी। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब से यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में केवल पीएचडी धारी ही सीधे लेक्चररशिप प्राप्त कर सकेंगे। पीजी और एमफिल धारकों को 'नेट' या 'स्लेट' पास करना अनिवार्य होगा।

शेष | अंतिम पेज